

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 26 09.2013

क्रमांक 16-29/2013/बी-ग्यारह, मेसर्स फोर्स मोटर्स लि. द्वारा पीथमपुर, जिला धार में स्थापित इकाई में विविधीकरण (Diversification) संबंधी पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स फोर्स मोटर्स लि. की परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

"शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन सधिकार समिति द्वारा बैठक दिनांक 24.01.2012 में कम्पनी की परियोजना को ग्रिड से प्राप्त की जाने वाली विद्युत पर प्रभार्य विद्युत शुल्क से 20 वर्षों के लिये छूट प्रदान करने संबंधी लिये गये निर्णय अनुसार ग्रिड से प्राप्त की जाने वाली विद्युत पर 20 वर्षों के लिये विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जावे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक 16-29/2013/बी-ग्यारह,  
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 26 09.2013

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, धार।
7. प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर।
8. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, इंदौर।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमुपर, जिला धार।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स फोर्स मोटर्स लि., मुम्बई-पुणे रोड, आकूडी, पुणे महाराष्ट्र 411035 कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग